न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्याः— 05 / 2022

वादी

छगनलाल पुत्र गणेशारामजी जाति सरगरा निवासी सिवाना
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गिगाराम पुत्र गणेशारामजी
2. जोगाराम पुत्र गणेशारामजी
3. डायाराम पुत्र गणेशारामजी
4. पोकरराम पुत्र गणेशारामजी
5. सुआदेवी पत्नी गणेशारामजी
6. किशनसिंह पुत्र प्रहलादरामजी
7. हितेशकुमार पुत्र प्रहलादरामजी
8. पिताराम पुत्र प्रहलादरामजी
9. मेतीदेवी पत्नी प्रहलादरामजी
10. दिनेशकुमार पुत्र कानारामजी
11. नटवर पुत्र कानारामजी
12. हंजारीमल पुत्र कानारामजी
13. भरतकुमार पुत्र कानारामजी
14. लक्ष्मी पत्नी कानारामजी
15. गोपी पुत्री कानारामजी
    जातियान सरगरा निवासीयान सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
16. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा) सिवाना
17. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार सिवाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 RTA

उपस्थित :— श्री पूनमचंद रामदेव वकील वादी

निर्णय

दिनांकः—19.01.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के साथ संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा संख्या 121 रकबा 03.4884 हैक्टेयर ग्राम उमसर तहसील सिवाना में अवस्थित है। वक्त बन्दोबस्त उक्त भूमि वादी के पूर्व पुरुष केवाजी की खातेदारी में दर्ज हुई थी, जिनके तीन पुत्र—वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता—पति गणेशाराम, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता—पति प्रहलादराम के पिता आम्बा तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 के पिता—पति कानाराम के पिता हेमाराम —थे।

इस प्रकार उक्त प्रत्येक थौक का वादग्रस्त भूमि में 1/3—1/3 हिस्सा था। गणेशाराम के 1/3 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6—1/6 हिस्सा तथा कुल वा[illegible] में 1/18—1/18 हिस्सा हैं। इसी अनुसार गणेशाराम [illegible] 1/18—1/18 हिस्से पर काबिज होकर [illegible] हैं। गणेशाराम के [illegible] होने पर नामान्तरकरण—वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दायर [illegible] बजाय केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दायर किये जाने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हकों से महरूम हो गये। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं को एवं प्रतिवादिनी संख्या 5 को अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदार घोषित करवाते हुए 1/18—1/18 हिस्सा स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:31:00 IST
Reason: SelfAttested

1 से 5 प्रत्येक की खातेदारी में दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं छगनलाल PW1 व बाबूलाल PW2 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबंदी प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2, अपना आधार कार्ड प्रर्दश 3, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 4 के अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2036–39 व 2039–42 प्रदर्श 5 व 6 तथा स्वयं का पाठशाला प्रवेशानुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रस्तुत किये।

दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पुश्तैनी सम्पति में वादी एवं प्रतिवादिनी संख्या 5 पूर्व खातेदार गणेशाराम के पुत्र व पत्नी की हैसीयत से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रथम सूची के वारिस होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ स्वयं को गणेशाराम के 1/3 हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत टी.सी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी, छगनलाल का पुत्र तथा उसकी माता का नाम सुआदेवी है। चूंकि पक्षकार जाति से सरगरा होने से हिन्दु विधि में शामिल होते है। अतः वादी एवं प्रतिवादिनी संख्या 5 का वादग्रस्त भूमि में निहित गणेशाराम के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ पुश्तैनी हक है और मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से गणेशाराम के प्रत्येक वारिस–वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/18–1/18 हिस्से पर कब्जाकाश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उमसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 121 रकबा 03.4884 हैक्टेयर भूमि में 2/3 हिस्से के शेष खातेदारान को अप्रभावित रखते हुए तथा वादी एवं प्रतिवादिनी संख्या 5 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/18–1/18 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।
इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:31:00 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना